

अभिधामूलक ध्वनि

एम्.ए – ॥ सेमेस्टर

डॉ उमा शर्मा

अध्यक्ष, संस्कृत विभाग

एन.ए.एस डिग्री कॉलेज, मेरठ

अभिधामूलक ध्वनि (विवक्षितान्यपरवाच्य)

जिस वाक्य में वाच्यार्थ पुष्करणा की दृष्टि से अन्य-योग होने के कारण विवक्षित होता है अथवा वाच्यार्थ का विषय होने के कारण भी वह अपने से अधिक समशीय व्यङ्ग्यार्थ की प्रतीति कराने हेतु अपने स्वरूप को गौण बना देता है, व्यङ्ग्यपरक हो जाता है वह विवक्षितान्यपरवाच्य ध्वनि वाक्य में परिगणित होता है। यह ध्वनि अभिधावृत्ति पर आश्रित है। इसमें वाच्यार्थ-बोध के पश्चात् ही व्यङ्ग्यार्थ की प्रतीति होती है। इसके

विवक्षितान्यपरवाच्य ध्वनि कहते हैं। विवक्षितान्यपरवाच्य च अर्थ है जिसमें वाच्यार्थ विवक्षित होने पर भी अन्यपरक अर्थात् व्यङ्ग्यनिष्ठ होता है। आचार्य मम्मट ने उक्त ध्वनि का स्वरूप अधोलिखित सूत्र द्वारा निर्दिष्ट किया है -

"विवक्षितं चान्यपरवाच्यं यत्रापरस्त सः"

अर्थात् जिस ध्वनि में वाच्यार्थ अपने स्वरूप से अन्य-योग होता हुआ (विवक्षित) भी (च) अन्यपर अर्थात् व्यङ्ग्यपरक (व्यङ्ग्यनिष्ठ) होता है, वही दूसरी अर्थात् विवक्षितान्यपरवाच्य ध्वनि है। यहाँ व्यङ्ग्यार्थ ही समशीय होता है, जिसकी प्रतीति वाच्यार्थ-साध्य होती है अर्थात् उसकी प्रतीति का माध्यम वाच्यार्थ होता है। जिस वाक्य में ध्वनि का यह स्वरूप होता है

यहाँ व्यङ्ग्य अर्थात् ध्वन्यात्मकता अभिधावृत्ति के माध्यम से होती है। यहाँ अभिधामूलक व्यङ्ग्य की प्रधानता होती है। यह भी कहा जा सकता है कि प्रथमतः अभिधावृत्ति द्वारा वाच्यार्थ बोध होता है तत्पश्चात्

अभिधामूलक व्यञ्जना द्वारा सहृदयमात्र वेद्य (अर्थात् जिसको केवल सहृदय सामाजिक ही समझ सकते हैं) रसक विलक्षण अर्थ की प्रतीति हुआ करती है। यही कारण है कि इसको अभिधामूलक ध्वनि भी कहा जाता है।

आ० मम्मट ने - "कौटिल्यक्रमव्यङ्ग्यो लक्ष्यव्यङ्ग्यक्रमः परः" सूत्र के माध्यम से इसके दो भेद किए हैं - 1. अलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य ध्वनि

2. लक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य ध्वनि

प्रथम प्रकार की ध्वनि को रसक हठान्त के माध्यम से इस प्रकार समझा जा सकता है जिस प्रकार यदि किसी लीकण सूचिका आदि से शतकमलपत्रों की वेधा जाता है तो जैन पत्र पहले तथा जैन वाद में वेधा गया इसका क्रम ग्राह नहीं हो पाता उसी प्रकार उक्त ध्वनि में व्यञ्जक (वाच्यार्थ) और व्यङ्ग्यार्थ का क्रम परिलक्षित नहीं होता। ग्रन्थकार ने स्पष्ट करते हुए कहा है - "न रसक

विभावानुभावव्यभिचारिण रसक रसः, अपितु रसस्वरैरित्पत्ति क्रमः *रसक लाघवान्न दूरपते* अर्थात् विभाव अनुभाव व्यञ्जक होते हैं तथा रसादि व्यङ्ग्य होते हैं। रसाभिव्यक्ति के साधन लेने के कारण होने से निम्नलिखित विभावादि पूर्वकाल में होंगे तथा रसाभिव्यक्ति परन्त्यात् आवी-हैरी है। अतः वीरविषय के कारण अवश्य होगा किन्तु रसोक्त के यमत्कार के कारण रसात्पुत्र चित सहृदय सामाजिक कारण एवं भाषा के उस वीरविषय का अनुभव नहीं कर पाते।

इसके अन्तर्गत रस, भाव, रसाभास, भक्ताभास, भावोदय, भावसन्धि एवं भावशकलता का भी समावेश होगा।

रसभावतदाभासभावशान्त्मादिरक्रमः।

भिन्नो रसाद्यलङ्कारादलङ्कारपरिणामो स्थितः॥

संलक्ष्यक्रमलक्ष्य ध्वनि - संलक्ष्यक्रमलक्ष्य ध्वनि से तात्पर्य यह है कि जहाँ पर

वाच्यार्थ और अङ्गार्थ की प्रतीति में पूर्व एवं अपर क्रम की उपस्थिति हो अर्थात् प्रथम शाल में वाच्यार्थ का ज्ञान हो, तदनन्तर दूसरे शाल में अङ्गार्थ की प्रतीति होती हो तो उसे संलक्ष्यक्रमलक्ष्य ध्वनि कहा जाता है, इसके प्रमुख रूप से तीन भेद होते हैं-

- 1- शब्द-शक्ति-उद्भव ध्वनि
- 2- अर्थ-शक्ति-उद्भव ध्वनि
- 3- शब्दार्थ-उभय-शक्ति-उद्भव ध्वनि

वस्तुतः ध्वनिसम्प्रदाय का उद्भव भारतीय काव्यशास्त्र के क्षेत्र में युगान्तकारी है। इस सिद्धान्त के आदि प्रणेता आनन्दवर्धन हैं, चौधक अधिनवगुप्त एवं प्रतिष्ठापक आचार्य मम्मट हैं। ध्वनि-सिद्धान्त की उद्भावना और प्रवर्तना

आनन्दवर्धन की अपनी मौलिक उपलब्धि है। आ० आनन्दवर्धन ने चिरञ्जन कवि वाल्मीकि, व्यास तथा आलोकदासादे कवियों कवियों के काव्य-रत्न का अवलोकन करके उसे काव्य का प्रधान रत्न स्वीकार किया है।

साव ही काव्य की आत्मा के पद पर परिचित किया है।
मन्था -

" काव्यस्यात्मा ध्वनिरिति सुधीः प्रः समाप्तात् पूर्वः "

उक्त श्रुत से स्पष्ट हो जाता है कि आनन्दवर्धन से पहले ही ध्वनि की विवेचना हो चुकी थी। आनन्दवर्धन के पश्चात् प्राचार्य अभिनवगुप्त ने ध्वन्यालोक की प्रसिद्ध टीका ध्वन्यालोक-लौचन लिखकर ध्वनि-सिद्धान्त को पुष्ट किया है। अभिनवगुप्त रसवादी ^{अभि} हैं। अतः उन्होंने रस के आरोप ही ध्वनि को महत्ता प्रदान की है। उनके अनुसार रसादे की प्रतीति व्यङ्ग्य है तथा रस का महत्त्व व्यञ्जना शब्दशक्ति के द्वारा ही हो सकता है। आनन्दवर्धन ने ध्वनि को -

- 1- वस्तुध्वनि
 - 2- अलङ्कारध्वनि रावम्
 - 3- रसध्वनि के रूप में निरूपित किया है
- परन्तु अभिनव गुप्त ने इससे भी आगे बढ़कर धौषणा की है कि काव्य, रस के द्वारा ही जीवित रह सकता है। उन्होंने बताया कि वस्तुध्वनि रावम् अलङ्कारध्वनि भी वस्तुतः रस का ही व्यंश - व्यराली है।

जहाँ आचार्य आनन्दनन्दन के ध्वनि सिद्धान्त का
 महिमभट्ट, सुन्तक, धमिक, धनकजप, आदि आचार्यों
 ने विरोध किया है वहीं डा० मम्मट ने अपने तर्कों
 से ध्वनि-विशेषों की मान्यता का जोरदार खण्डन
 किया है। मम्मट मूलतः ध्वनिवादी हैं। उन्होंने वैजायक्यों
 से ध्वनि शब्द की घृष्टता का उसकी वाक्यशास्त्रीय
 मौलिक विवेचना की। वस्तुतः उन्होंने रस और
 ध्वनि में अन्तःसम्बन्ध स्थापित किया। डा० मम्मट
 ने रस की सरल विवेचना की। उनके अनुसार
 रस किसी भी वशा में वाच्य नहीं होता।
 विभावादि की उचित चोत्रना करने पर ही
 उसकी प्रतीति होती है। अतः रस को वाक्य
 की आत्मा मानना भी ध्वनि का पोषण है।
 इसीलिए अतिगुप्त गुप्त की मान्यता है-
 कि रस ही वाक्य की आत्मा है। वस्तु और
 अलङ्कार ध्वनि रस में समाविष्ट होकर ही
 रहते हैं। तदनन्तर डा० मम्मट ने भी
 ध्वनि-सिद्धान्त को सुदृढता एवं स्थिरता
 प्रदान की है। कालस्वरूप उन्हें ध्वनि-
 प्रस्थापना-चाप कहा जाता है।
 इस प्रकार ध्वनि-भेदों का रसणीय
 विवेचन प्रस्तुत करते हुए डा० मम्मट ने
 ध्वनि-रस के वाक्य की आत्मा के रूप में
 प्रातिष्ठान्त किया है।